न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः— डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्या 209 / 2026

आशीष कुमार पता — काजड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राज.
मो.न. 9614107387 पिनकोड 333030

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ़।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

आदेश

दिनांक 21.05.2026

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 06.05.2026 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 209 / 2026 पर दिनांक 06.05.2026 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ़ के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ़ को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ़ से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक / 2026 / 1385—86 दिनांक 06.05.2026 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ़ ने पत्रांक विविध / 26 / 38—39 दिनांक 18.05. 2026 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी द्वारा बायो गैस प्लांट लगाने की सरकारी योजना आदि के संबंध में सूचना चाही गई है। अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक विविध / 26 / 37 दिनांक 18.05.2026 को सूचित किया जा चुकी है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण आर.टी.आई. अधिनियम के तहत देय नहीं है। अतः अपीलार्थी की अपील खारीज फरमायी जावें।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) सूरजगढ़ ने द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा बायो गैस प्लांट लगाने की सरकारी योजना आदि के संबंध में सूचना चाही गई है। अपीलार्थी को उनके कार्यालय के पत्रांक विविध / 26 / 37 दिनांक 18.05.2026 को सूचित किया जा चुकी है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रश्नात्मक प्रकृति की होने के कारण आर.टी.आई. अधिनियम के तहत देय नहीं है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 21.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुन्झुनूं